



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में पटवारी 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 24 जून, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रकाश चंद मीणा पटवारी पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पैमाईश करने की एवज में प्रकाश चंद मीणा पटवारी पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर द्वारा 60 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रकाश चंद मीणा पुत्र श्री कैलाश चंद मीणा निवासी ग्राम अंगारी, तहसील व थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर को परिवादी से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।